

**बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14**

**आशुलिपिक/आशुटंकक ग्रेड-III के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता
परीक्षा का विज्ञापन (वि0सं0-07/25)**

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन :- दिनांक-25.09.2025 से 03.11.2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों/कार्यालयों से आशुलिपिक/आशुटंकक के पदों से संबंधित अध्याचनायें आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अध्याचनानुसार आशुलिपिक/आशुटंकक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट <https://bssc.bihar.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

वेतनमान- लेवल-4 (25500-81100)

अध्याची विभाग/कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिक्तियों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पद का नाम	विभाग/ कार्यालय का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	वांछनीय योग्यता	आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या							कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अम्बर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं०
						अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
						35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
1	आशुलिपिक/आशुटंकक	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी आशुलेखन एवं कम्प्यूटर टंकण	कम्प्यूटर के बेसिक/वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान।	31	12	1	14	9	2	7	76	2	VI-01 DD-01 OH-01
11	4	0	5	3	-	2	25								
2	आशुलिपिक/आशुटंकक	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी आशुलेखन एवं कम्प्यूटर टंकण/कम्प्यूटर के बेसिक/वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान।	-	31	12	1	14	9	2	8	77	2	VI-01 DD-01 OH-01
11	4	0	5	3	-	3	26								
3	आशुलिपिक/आशुटंकक	निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) श्रम संसाधन विभाग	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण ज्ञान एवं कम्प्यूटर संचालन।	-	5	2	0	2	1	0	1	11	0	VI-01
2	0	0	0	0	-	0	2								
4	आशुलिपिक/आशुटंकक ग्रेड-III	अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्षता।	-	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	-	0	0								
5	आशुलिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी आशुलेखन एवं कम्प्यूटर टंकण/कम्प्यूटर के बेसिक/वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान।	-	7	46	1	19	8	2	2	85	1	OH-01
2	1	0	1	0	-	0	4								
6	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, दरभंगा	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर संचालन।	-	2	1	0	1	1	0	1	6	0	0
0	0	0	0	0	-	0	0								
7	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, प० चंपारण	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	2	1	0	1	1	0	1	6	0	VI-01
0	0	0	0	0	-	0	0								

क्र० सं०	पद का नाम	विभाग / कार्यालय का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	वांछनीय योग्यता	आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या							कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती /नाती/ नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं०
						अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
						35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
8	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, भागलपुर	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	'हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	3	1	0	1	0	0	0	5	0	0
						1	0	0	0	0	-	0	1		
9	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, शेखपुरा	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	'हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	1	0	0	0	1	0	1	3	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
10	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, शिवहर	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	'हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	1	0	0	0	1	0	1	3	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
11	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, खगड़िया	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	'हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	2	1	0	1	1	0	1	6	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
12	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, अरवल	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	'हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
13	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, जहानाबाद	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
14	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	'हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	4	1	1	2	1	0	1	10	0	VI-01
						1	0	0	0	0	-	0	1		
15	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, मधेपुरा	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर संचालन।	-	3	1	0	1	0	0	0	5	0	0
						1	0	0	0	0	-	0	1		
16	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, सीतामढ़ी	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर संचालन।	-	3	1	0	1	1	0	1	7	0	VI-01
						1	0	0	0	0	-	0	1		
17	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, बक्सर	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	2	1	0	1	0	0	1	5	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		

क्र० सं०	पद का नाम	विभाग / कार्यालय का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	वांछनीय योग्यता	आरक्षणवार रक्तियों की संख्या							कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती / नाती / नातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं०
						अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
						35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
18	आशुलिपिक / आशुटंकक	समाहरणालय, अररिया	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	2	1	0	1	0	0	0	4	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
19	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, बाँका	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
20	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, बेगूसराय	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	3	1	0	2	1	0	1	8	0	VI-01
						1	0	0	0	0	-	0	1		
21	आशुलिपिक / आशुटंकक	समाहरणालय, कटिहार	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	4	1	0	2	1	0	1	9	0	0
						1	0	0	0	0	-	0	1		
22	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, मुंगेर	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	3	1	1	1	1	1	0	8	0	VI-01
						1	0	0	0	0	-	0	1		
23	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, मुजफ्फरपुर	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	1	1	1	1	0	1	1	6	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
24	आशुलिपिक	समाहरणालय, नालंदा	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	2	1	0	0	1	0	0	4	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
25	आशुलिपिक	समाहरणालय, पटना	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	6	2	0	3	2	0	2	15	0	DD-01
						2	0	0	1	0	-	0	3		
26	आशुलिपिक / आशुटंकक	समाहरणालय, सहरसा	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	3	1	0	1	1	0	0	6	0	0
						1	0	0	0	0	-	0	1		
27	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, समस्तीपुर	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	1	1	1	1	0	1	1	6	0	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
28	आशुलिपिक / आशुटंकक	समाहरणालय, सारण, छपरा	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	-	4	2	0	2	1	0	1	10	0	DD-01
						1	0	0	0	0	-	0	1		

19/11/2015

क्र० सं०	पद का नाम	विभाग / कार्यालय का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता	वांछनीय योग्यता	आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या							कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं०
						अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
						35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
29	आशुलिपिक / आशुटंकक	समाहरणालय, सुपौल	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	—	3	1	0	1	0	0	0	5	0	0
						1	0	0	0	0	-	0	1		
30	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, सिवान	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	—	3	1	0	1	1	0	1	7	1	VI-01
						1	0	0	0	0	-	0	1		
31	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, मधुबनी	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	—	3	1	1	1	1	0	1	8	—	0
						1	0	0	0	0	-	0	1		
32	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, औरंगाबाद	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	—	2	1	0	1	0	0	0	4	—	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
33	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, पूर्णियाँ	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	—	2	1	1	1	0	0	1	6	—	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
34	आशुलिपिक / आशुटंकक ग्रेड-III	समाहरणालय, किशनगंज	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	—	1	0	0	1	0	0	0	2	—	0
						0	0	0	0	0	-	0	0		
35	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, गोपालगंज	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	—	1	1	0	1	1	0	1	5	—	VI-01
						0	0	0	0	0	-	0	0		
36	आशुलिपिक ग्रेड-III	समाहरणालय, नवादा	इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष	हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्ष।	—	3	1	0	0	0	0	0	4	—	0
						1	0	0	0	0	-	0	1		
कुल पदों की संख्या						150	102	09	80	45	09	37	432	6	VI-10 DD-04 OH-03
35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या—						41	09	0	12	06	—	5	73		

नोट-I. राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

नोट-II. राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

नोट-III. उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबधिक है, जो घट-बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभागों के द्वारा आशुलिपिक/आशुटंकक की नियुक्ति हेतु संशोधित रिक्तियाँ अथवा नई रिक्तियाँ, आयोग को संसूचित की जाएगी, उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है।

नोट-IV. आशुलिपिक/आशुटंकक पद हेतु मौलवी प्रमाण-पत्र, आई0टी0आई0 (दो वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण-पत्र NCVT/SCVT द्वारा निर्गत) एवं पॉलिटेक्निक (तीन वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा) को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जायेगा।

1. उम्र सीमा :-

अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2025 के आधार पर की जाएगी, परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो दिनांक-01.08.2023 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-294, दिनांक-07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नरूपेण निर्धारित की जाएगी:-

न्यूनतम उम्र सीमा :- 18 वर्ष (सभी कोटियों के लिए)।

अधिकतम उम्र सीमा :-

क्र०सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
01	अनारक्षित (पुरुष)	37 वर्ष
02	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष
03	अनारक्षित (महिला)	40 वर्ष
04	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	42 वर्ष
05	सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी	उपर्युक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट।

आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-6519, दिनांक-10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-22218 (गजट), दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है:-

(क) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग-अलग अधिकतम कुल पाँच अवसर ही अनुमान्य होंगे।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

(ग) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पूर्ववत् अनुमान्य होगी। परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iii) 01 जनवरी 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अपनी वास्वतिक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र उक्त पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके संबंध में यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।

12

24

19/11/2024

(iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग्य के समतुल्य रियायत दी जायेगी। बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन की तिथि को 53 वर्ष से अधिक न हो।

(v) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस पद पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

(vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) की अधिकतम उम्र सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।

(vii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि से छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हो, का प्रमाण पत्र, प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

(viii) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ix) उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही-सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

2. चयन की प्रक्रिया:-

परीक्षा की प्रकृति:-वस्तुनिष्ठ।

1. बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली-2010 के आलोक में 40 (चालीस) हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 05 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन व्यावहारिक परीक्षा (Skill Test) के लिए किया जाएगा।

समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में उपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम (A To Z) के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा।

लिखित परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे:-

(क) सामान्य अध्ययन

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित

(ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

II. पाठ्यक्रम:-लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है:-

खंड (क) सामान्य अध्ययन :- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) **सम-सामयिक विषय:-** वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ।

(ii) **भारत और उसके पड़ोसी देश :-** पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान।

खंड (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित :- इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं:-

(i) **सामान्य विज्ञान:-** भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल एवं **कम्प्यूटर के बेसिक/वर्ड्स प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न।**

(ii) **गणित:-** संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, एवं लाभ और हानि।

खंड (ग) मानसिक क्षमता जाँच :- इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं यथा – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, श्रृंखला, वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिंब, छिपी हुई आकृति, चित्र मैट्रिक्स, कागज काटना, समूह छविया, आकार निर्माण क्यूब्स और पासा, सादृश्यता, विश्लेषणात्मक तर्क, जल प्रतिबिंब, प्रतिरूप पूर्ण करना, कागज के मोड़, नियम पहचान, डॉट स्थिति, चित्र गठन एवं विश्लेषण।

III. व्यावहारिक जाँच परीक्षा:-

01. आशुलेखन जाँच परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी श्रुतिलेखन हेतु 80 (अस्सी) शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 (तीन सौ बीस) शब्दों को 04 (चार) मिनट (1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापन जाँच (डिक्टेशन लेख)) की अवधि में उपलब्ध कराये गये नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। निर्धारित श्रुतिलेखन के बाद 02 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु देय होगा। श्रुतिलेखित लेखांश के टंकण हेतु कुल 20 (बीस) मिनट देय होगा।
02. टंकण जाँच परीक्षा (अंग्रेजी एवं हिन्दी) कम्प्यूटर पर ली जाएगी।
03. हिन्दी टंकण जाँच परीक्षा में Mangal font in Remington Gail Keyboard Layout का प्रयोग किया जाएगा।
04. हिन्दी टंकण जाँच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 (तीन सौ) शब्दों को 10 (दस) मिनट में टंकित करना अनिवार्य है।
05. अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा में "UTF-8" Under English (US) Keyboard Layout का प्रयोग किया जाएगा।
06. अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 10 (दस) मिनट में कुल 300 (तीन सौ) शब्दों को टंकित करना अनिवार्य है।
07. अभ्यर्थी Typing की शुरुआत के दौरान उपयुक्त Keyboard Layout का चयन कर लें, Typing के दौरान Keyboard Layout बदलने से अभ्यर्थी द्वारा Type की गई सामग्री मिट सकती है।

19/11/2025

08. बेन्चमार्क दिव्यांग (दृष्टि बाधित) अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षतिपूरक समय दिया जाएगा।
09. व्यावहारिक जॉब परीक्षा में सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10 प्रतिशत एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगा।
10. अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान Computer Screen पर समय-समय पर प्रदर्शित निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:- 1. लिखित परीक्षा के बाद व्यावहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जायेगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यावहारिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

2. व्यावहारिक परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों से विभाग/कार्यालयों की प्राथमिकता प्राप्त की जायेगी।

3. क्वालीफाइंग मार्क्स:-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् है:-

कोटि	न्यूनतम अर्हतांक
अनारक्षित वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	34 प्रतिशत
अनु0 जाति/जनजाति	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	32 प्रतिशत
दिव्यांग (सभी वर्ग)	32 प्रतिशत

4. परीक्षा शुल्क :-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-15568, दिनांक-21.08.2025 द्वारा परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र रू0 100/- (एक सौ रुपये) देय होंगे।

परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन (Credit Card/Debit Card/UPI/Net Banking आदि के माध्यम से) जमा किया जाएगा।

ऑनलाईन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक-25.09.2025 से 03.11.2025 तक जमा किया जा सकेगा।

मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होगा।

5. आरक्षण:-

(i) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

(a) जाति प्रमाण-पत्र।

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र।

(b) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(c) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(d) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(V) आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र भौतिक रूप में उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। (उदाहरण स्वरूप यदि BC कोटि के अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के समय EBC अंकित करते हैं तथा प्रमाण-पत्र संवीक्षा के दौरान BC कोटि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा)

यदि उम्मीदवार प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के दौरान संगत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो उन्हें अनारक्षित कोटि में मान्य कर दिया जायेगा। तदनुसार आयोजित लिखित परीक्षा के परीक्षाफल की संवीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with Benchmark Disability) को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-8962, दिनांक 21.05.2025 के आलोक में राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण-पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के स्तर से निर्गत हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में दिव्यांगता आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2568, दिनांक-11.02.2025 के आलोक में अधिनियम की धारा 2 (s) के अन्तर्गत परिभाषित, परन्तु इस अधिनियम की धारा 2 (r) के अन्तर्गत अपरिभाषित विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र एवं अनुसूची-11 में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कंडिका में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में YES करना अनिवार्य होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के

PF
&

240

9
19/11/2024

लिए आरक्षित पदों की पदवार एवं कोटिवार संख्या तालिका में अंकित है। 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों से नहीं भरा जायेगा, तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगली नियुक्ति के लिए अग्रणीत की जायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में सम्पूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक-23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-12722, दिनांक-12.09.2024 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय किये गये दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण-पत्र यथा - मैट्रिक का प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अन्य प्रमाण-पत्र/औपबंधिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate), मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र इत्यादि का निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय ऑनलाईन आवेदन में अंकित किये गये प्रमाण-पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

6. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- I. किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। मात्र प्रवेश पत्र (Admit Card) निर्गत होने से अभ्यर्थी के अभ्यर्थित्व का दावा संपुष्ट नहीं माना जाएगा।
- II. किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
- III. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे।

IV. इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। साथ ही, गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

V. अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व **Preview** देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो **Edit option** का उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को **Submit** करेंगे।

VI. एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।

VII. वैध एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्य में संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाईल नम्बर और/या ई-मेल आईडी दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे, जिसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

VIII. अभ्यर्थी अपना Application Form Number/Registration Number/Roll Number को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (फोटो सहित) की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट/द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नम्बर/एप्लिकेशन फार्म नम्बर/प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किये जायेंगे।

IX. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-9667, दिनांक-20.06.2024 के आलोक में लिखित परीक्षा Online (Computer Based Test)/Offline Mode में आयोजित की जा सकती है।

X. विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा पररूपधारण (Impersonation) करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतएव अभ्यर्थियों का परीक्षा के दौरान Biometric Thumb Impression/Iris Capture लिया जा सकता है, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के Biometric Thumb Impression/Iris Capture का मिलान किया जा सके। Biometric Thumb Impression/Iris Capture मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध आयोग द्वारा विधि-सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

XI. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।

XII. जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।

नोट:-उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन/निर्धारण, परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों/संवर्ग के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश:-

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	25.09.2025
परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	03.11.2025
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	05.11.2025

I. ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता/आरक्षण/कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र यथा-

- मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
- इंटरमीडिएट (10+2) या समकक्ष से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
- स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण-पत्र।
- जाति प्रमाण-पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र।
- स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण-पत्र।

R
A

24

19/11/2025

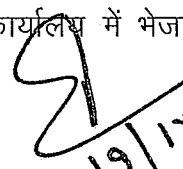
- f) दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- g) अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण-पत्र/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र से संबंधित सूचना को विहित कॉलम में प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे।
- II. ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निदेश आयोग के वेबसाइट <https://bssc.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।
- III. ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- IV. अभ्यर्थी के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र के अनुसार होना चाहिए।
- V. सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि (Category) की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरान्त ही भरें।
- VI. विज्ञापन की कंडिका-5 (आरक्षण) की उप कंडिका-(vii) के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करेंगे, जिसके अनुसार उन्हें श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जाएगा।
- VII. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) Live Photo Webcam के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- VIII. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों/वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
- IX. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है।
- X. अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल में प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के समय वांछित प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द हो सकती है तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- XI. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप में उपलब्ध है।

08. घोषणा:-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिये गये विवरण की पुष्टिकरण माँगेगा, मैं निदेशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

09. अंतिम तिथि:-

ऑनलाइन आवेदन दिनांक-25.09.2025 से 05.11.2025 की रात्रि 11:59 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाइट <https://bssc.bihar.gov.in> पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

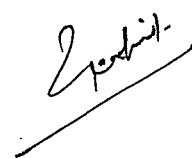

19/11/2025

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पटना।

B

Q



Job Alert Live

Free Sarkari Job Updates & Notifications

Get the latest updates on [Sarkari Result](#), [Job Vacancy](#), Govt Job Notifications, Admit Cards, Exam Results, [10th Pass Jobs](#), [12th Pass Jobs](#), [ITI Pass Jobs](#), SSC Jobs, Railway Jobs, Police Jobs, Banking Jobs, Group D Jobs, and more.

■ Visit us daily: www.JobAlertLive.com

Disclaimer: This notification/document (except this current page) is originally published by the respective Official Department/Recruitment Board. We do not claim any ownership of the official content. The information is provided here only for educational and informational purposes. Always verify details from the official website before taking any action. Our main goal is to collect information from official source and share it with you...

For the latest and verified job updates, kindly visit our website: JobAlertLive.com

Note: This current page is added by JobAlertLive.com for better clarity. The main content belongs to the respective **Official Source**.



Thanks and regards..

Team: JobAlertLive

WWW.JobAlertLive.Com